संख्या-7/2017/क0नि04-1262/11-2017-300(67)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 03 नवम्बर, 2017**

विषयः जनपद इलाहाबाद में इंदिरा भवन स्थित अग्निकांड से प्रभावित वाणिज्य कर कार्यालय में कराए जाने वाले अनुरक्षण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-इलाहाबाद-अग्निकांड/कार्या0 भ0अनु0/2017-18/562/वाणिज्य कर, दिनांक 09.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय भवन इलाहाबाद में अनुरक्षण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से कुल धनराशि रू0-36.14 लाख (रूपया छत्तीस लाख चैदह हजार मात्र) व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
4. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण- 03-वाणिज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या-7/2017/क0नि04-1262(1)/11-2017, तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।
2-निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4-वित्त नियंत्रक/एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5-सम्बंधित कार्यदायी संस्था द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
7-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।